DEPT. OF POL. SCI.

B.A. II PAPER - IV

(2) संविधानवाद एक संस्कृति-सम्बद्ध अवधारणा है (Constitutionalism is a Culture bound) — किसी भी राजनीतिक समाज के मूल्यों का विकास और निर्माण मूल्य भी मानी होता। ये समाज की संस्कृति से सम्बद्ध होते हैं। प्रत्येक देश के आदर्श मूल्य और विचारधाराएँ उस देश की संस्कृति की ही उपज होते हैं और संस्कृति से ही अनुबंधित होते हैं। संविधानवाद इन्हीं पर आधृत कहा जाता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि संविधानवाद की धारणा स्थान विशेष की संस्कृति से सम्बद्ध पाई जाती है। संविधानवाद का संस्कृति-सम्बद्ध होना उसमें वास्तविकता लाता है और उसे अर्थयुक्त बनाता है। उसमें संघर्ष तथा विरोध के स्थान पर सहयोग और सामंजस्य की उपलब्धता संविधानवाद द्वारा ही होती है। संविधानवाद एक राज्य की सभी संस्कृतियों के विकास और सुरक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह इन सभी संस्कृतियों से सम्बद्ध होता है।

(3) संविधानवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है (Constitutionalism is a dynamic Concept) — संविधानवाद एक गतिहीन धारणा नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि संविधानवाद में स्थिरता नहीं होती। संविधानवाद की यही सबसे विचित्र बात है कि इसमें स्थायित्व के साथ-साथ गत्यात्मकता भी मिलती है। यही कारण है कि संविधानवाद प्रगति में बाधक नहीं, वरन् प्रगति का साधक है। इसमें गतिशील प्रगति आवश्यक है; क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में भी बदलाव आता है और इससे संस्कृति विकसित होती है।

(4) संविधानवाद एक समभागी अवधारणा है (Constitutionalism is a shared Concept) — किसी एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास एवं राजनीतिक आदर्श और संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा होती है अतः अनेक देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएँ तथा मान्यताएँ समान हो सकते हैं

Scanned by TapScanner

ऐसे देशों में संविधानवाद आवश्यक ~~समानताएं~~ समानताएं
रखता है विभिन्नताओं के बावजूद विकासशील लोकतांत्रिक
देशों में भी मोटे तौर पर संविधानवाद एक जैसा ही है
अतः हम कह सकते हैं कि संविधानवाद एक
समभागी अवधारणा है

(5) संविधानवाद प्रधानतः एक आदर्शमूलक अवधारणा है —
संविधानवाद साध्य प्रधान विषय है तो इसमें
अर्थ उन आदर्शों से है, जिन्हें समाज साध्य के रूप
में अंगीकृत करता है अतः संविधानवाद साध्यों की
ओर प्रमुख संकेत देता है और साधनों की ओर
गौण संकेत ही करता है।

(6) संविधानवाद सामान्यतः एक संविधान जन्य अवधारणा
है — सामान्यतः और साधारण परिस्थितियों में
प्रत्येक देश की मूलभूत आस्थाओं का उस देश के
संविधान में ही उल्लेख होता है सामान्य परिस्थितियों
में प्रत्येक लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज के मूल्यों और
आदर्शों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है
ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित होता है
अतः संविधानवाद ऐसी आधारशिला प्रस्तुत करता है,
जिस पर संविधान की नींव सुरक्षित रह सकती है
प्रत्येक संविधान में कुछ सामान्य
विशेषताएं होती है ये विशेषताएं प्रत्येक देश में
कम या अधिक मात्रा में संविधानवाद के आदर्श
के रूप में पाई जाती है।

DR. RAHUL KR PASWAN
U.R. COLLEGE, ROSERA
DEPT of POL. SCI

Scanned by TapScanner